बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०–2/अ0प्र0–1–13/2016 1819 /पटना, दिनांक :– 3.12.2020

श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर से जुलाई 2015 एवं अगस्त 2015 का मासिक लेखा विवरणी ससमय महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को समर्पित नहीं करने के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1460 अनु0 दिनांक 27.04.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री प्रभाकर से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 03.05.2016 में उल्लेख किया गया कि माह जुलाई–2015 का लेखा दिनांक 04.08.2015 को हस्ताक्षरित है, जिसे कार्यालय के पत्रांक 514 अनु0 दिनांक 05.08.2015 द्वारा निर्गत किया गया। माह अगस्त 2015 का लेखा दिनांक 07.09.2015 को हस्ताक्षरित है, जिसे कार्यालय के पत्रांक 609 अनु0 दिनांक 07.09.2015 द्वारा निर्गत किया गया। इस कार्यालय में कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक का पद रिक्त रहने के कारण नवनियुक्त पत्राचार लिपिक को मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करने हेतु अधिकृत किया गया था, परन्तु उसके असावधानी के कारण उक्त माह का लेखा ससमय महालेखाकार कार्यालय को समर्पित नहीं किया जा सका।

3. श्री मिश्र के स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए उन्हें भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

4. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उक्त के आलोक में श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

2.12.20

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–13/2016 1819 /पटना, दिनांक :– 3.12.2020

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.12.20

उप सचिव